

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 12.06.2019

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-


क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	डा. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग)	एम. सी. डब्ल्यू. सी. सेन्टर, चुरु	केन्द्रीय कारागार, बीकानेर	रिक्त पद पर
2.	डा. मुकेश मौर्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग)	एम. बी. होस्पिटल, कोटा	केन्द्रीय कारागार, कोटा	रिक्त पद पर
3.	डा. अशोक कुल्हरी, चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बबाई, झुंझुनू	जिला कारागार, झुंझुनू	रिक्त पद पर
4.	डा. सत्येन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुहाडी, जैसलमेर	जिला कारागार, जैसलमेर	रिक्त पद पर
5.	डा. बुधराज, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावल, सिराही	जिला कारागार, सिराही	रिक्त पद पर
6.	डा. प्रशान्त निमेश, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विरोधा, धौलपुर	जिला कारागार, धौलपुर	रिक्त पद पर
7.	डा. प्रभुदयाल, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीपलाना, हनुमानगढ	जिला कारागार, हनुमानगढ	रिक्त पद पर
8.	डा. अभिषेक वन्दावाला, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बजरंगगढ, बारां	जिला कारागार, बारां	रिक्त पद पर
9.	डा. मोहित गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी	सैटेलाईट होस्पिटल, अजमेर	उ. सु. कारागार, अजमेर	रिक्त पद पर
10.	डा. गोपाल सिंह गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेडला, दौसा	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोक हित में किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/ 814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 4803 दिनांक 23.04.19 के संदर्भ में।
4. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
5. अधीक्षक, एम. बी. होस्पिटल, कोटा
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राज.
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव